राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE: WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/11873-12183 दिनांकः– 22/07/2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में नगरीय निकायों को श्रेणीवार निर्धारित बजट सीमा से अतिरिक्त बजट राशि की मांग के सम्बन्ध में।
प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक 1259–1540 दिनांक 28.02..2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2025–26 हेतु नगरीय निकायों को वार्षिक कार्य–योजना तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुए निकाय श्रेणी अनुसार अंतरिम बजट सीमा हेतु प्रावधान किया गया है। स्थानीय स्तर पर श्रमिक मांग अनुरूप आवश्यक कार्य सृजन एवं क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष के आगामी पखवाड़ों के लिए उक्त सीमा के अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव निदेशालय को निम्न सूचना सहित प्रेषित किये जावें। (अतिरिक्त बजट राशि श्रम मद अंतर्गत ही उपलब्ध करवाई जावेगी)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी (Release) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र।
- गत पखवाड़े तक जारी मस्टररोल तथा रोजगार आवंटित श्रमिकों की पखवाड़ेवार संख्या, उपस्थिति एवं औसत श्रमिक मजदूरी राशि के साथ श्रम मद अंतर्गत व्यय राशि का विवरण।
- वर्तमान वर्ष में आगामी पखवाड़ों में पोर्टल पर दर्ज श्रमिक मांग की संख्या तथा इसके अनुसार अनुमानित व्यय राशि का विवरण।
- जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित श्रमिक मांग अनुरूप संशोधित वार्षिक कार्य–योजना।
- जिला स्तरीय समिति से श्रमिक मद हेतु 31.03.2026 तक अतिरिक्त बजट आवंटन की अभिशंषा।

अतः अतिरिक्त बजट मांग प्रकरणों में नगरीय निकायों द्वारा उक्तानुसार आवश्यक स्वीकृतियां जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अनुमोदित करवाकर वर्ष 2025–26 का श्रम मद मांग पत्र प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जावें।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांकःएफ56(क)(13568)CE/DLB/MSRGY/2025/12184-12235 दिनांकः– 22/07/2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र अजमेरा)
परियोजना निदेशक (MSRGY)